समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला योजना कार्यालय)

"आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम एवं **एकीकृत कार्य योजनान्तर्गत** जहानाबाद जिले के युवाओं को जीविकोपार्जन हेतु व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण देने के लिए समान क्षेत्र में अनुभव रखने वाले ख्याति प्राप्त एवं पंजीकृत संस्थाओं से निम्नांकित व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अभिरूचि अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है:-

ट्रेड	**व्यवसाय का नाम**	**प्रशिक्षण अवधि**
1	**2**	3
I	**कम्प्युटर प्रशिक्षण**	**3 माह**
1	Computer Basic & Data Entry	
2	Advance Diploma in Information Technology (ADIT)	
3	Desk Top Publication (DTP)	
4	Diploma in PC Hardware & Networking (DPCHN)	
II	**ड्रेस मेकिंग**	**3 माह**
III	**सिलाई-कटाई**	

योग्य प्रस्ताव देने हेतु संस्थान की योग्यता:-

1. संस्था कम से कम 3 वर्षो पूर्व पंजीकृत हो।
2. समान व्यवसाय में 3 वर्षो का औसतन आवर्त (Turn over) मो0-25.00 (पच्चीस) लाख हो।
3. समान व्यवसाय में कम से कम 3 वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
4. संस्था/कम्पनी के नाम से सेवा कर संख्या/पैन संख्या उपलब्ध हो। (उपरोक्त सभी के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज एवं 3 वर्षो का अंकेक्षण रिपोट की सत्यापित छायाप्रति प्रस्ताव के साथ क्रमानुसार संलग्न होना आवश्यक है।
5. आवेदित कोर्स संचालित करने हेतु प्रस्तावित वर्षो में प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है।
6. EOI प्रशिक्षण शुल्क प्रति ट्रेड 10000/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट, जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पदनाम से जहानाबाद में भुगतेय प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
7. प्रस्ताव EOI जिला योजना पदाधिकारी, समाहरणालय, जहानाबाद के पता पर कुरियर/रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 15.10.12 के अपराह्न 05:00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग-अलग प्रस्ताव देना होगा। लिफाफे के उपर व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अभिव्यक्ति (EOI) लिखा होना चाहिए।
8. आवेदन करने हेतु प्रस्ताव का प्रारूप-एनेक्सर-I, II एवं III (तकनीकी एवं वित्तीय भाग सहित) जहानाबाद के बेबसाईट WWW.jehanabad-bih.nic.in पर उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग किया जा सकता है। अन्य प्रारूप (Formate) में भेजा गया प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा सकता है।
9. Short Listed संस्थाओं को तकनीकी प्रस्तुतीकरण देने हेतु आमंत्रित किया जायगा। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को बिना कारण बताए अभिरूचि अभिव्यक्ति के प्रस्ताव के रद्ध करने या तिथि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

F:\DPO Jehanabad\Other Letter\Other Letter.doc92

26/09/12